छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 77 — प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : **छ.ग. रेरा विरूद्ध श्री हरिवल्लभ अग्रवाल** — CGRERA-P-: **SM-PRO-2019-00325**

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07.06.2019	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''शिव वाटिका'' का ग्राम रायपुर खास अ श्वनी नगर, रकबा 0.407 हेक्टयर भूमि पर बहुमंजिला आवासीय परिसर का रेरा में रजिस्ट्रेशन न कराने के संबंध में प्राधिकरण ने नोटिस क्रमांक 116/रेरा/2019 दिनाँक 19.03.2019 जारी किया गया था। जिसमें अनावेदक को दिनाँक 08.04.2019 को भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, (रेरा) रायपुर में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। नियत सुनवाई के समय पर अनावेदक श्री हरिवल्लभ, अग्रवाल (महामाया कन्ट्रक्शन) विधिक प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किया अनावेदक ने ''शिववाटिका'' का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा प्रोजेक्ट के कार्यपूर्णता के संबंध में प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत साक्ष्य/प्रतिवेदन एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र की विवेचना से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियामक एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा - 3 (2) (ख) के अनुसार प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में पृथक किसी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के कारण, प्रकरण समाप्त करते हुए निराकृत किया जाता है। सही/– **राजीव कुमार टम्टा** (सदस्य)	